न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)
मूल वाद सं0 –4/22
व.मु.उन.

1. पूरनसिंह पुत्र वंशी उम्र 70 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम–लालपुर तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर हाल नि. नेहरू कैम्प गोविन्दपुरी कालका जी अली साउथ देहली–110019 ।

.....प्रार्थी

बनाम

1. लच्छो पत्नी कोलईया उर्फ गुलावसिंह
2. विजयसिंह
3. सन्तोष
4. वनिया

पि0 कोलईया उर्फ गुलावसिंह जाति–ठाकुर मढई मजरा सामौर तह. राजाखेडा

5. सनेही पुत्र मोजीराम.जाति ब्राहमण निवासी सामौर तहसील राजाखेडा ।
6. तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः– 111 सपठित धारा 128 एल.आर.एक्ट 1956
सपठित धारा 151 CPC

उपस्थिति :–

1. विद्वान अधिवक्ता :– श्री आर.एस. चौहान अभिभाषक प्रार्थीगण।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा धौलपुर (राज.)

निर्णय

मूल वाद सं. 4/22 दिनांक :– 2.1.2023

प्रार्थीगणों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा यह प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 261/226 रकबा 1–2646 हे0 वाके ग्राम मढई तहसील राजाखेडा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की उक्त आराजी से अप्रार्थीगणों का किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है, और न कभी रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 261/226 के पूर्वी दिशा में अप्रार्थी गण सं0 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 194 लगा हुआ है। उक्त खसरा नम्बर की आड़ में अप्रार्थी सं. 1 अपने पुत्रों अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 4 एवं अप्रार्थी सं.5 के सहयोग से प्रार्थी की खातेदारी की आराजी की सीमा/सीमा चिन्ह/मेढों को बलपूर्वक अवैध रूप से नष्ट/खत्म कर देते है। तथा प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। जिससे आये दिन विवाद पैदा होते है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 6 के यहां पैमाइश हेतु निवेदन किया गया लेकिन बाउन्ड्री डिस्प्यूट आज भी विद्यमान है अप्रार्थी सं. 6 द्वारा कोई समाधान नहीं किया । उपरोक्त स्थिति में प्रार्थी अपनी आराजी के सीमा विवाद को स्थाई रूप से खत्म कराना चाहता है एवं न्यायालय श्रीमान के माध्यम से पुख्ता सीमा चिन्ह नक्शा अक्श (मानचित्र) के अनुसार कायम कराना चाहते है। जिसका प्रार्थी अधिकारी है एवं दावेदार है। इस प्रकरण में सीमाज्ञान कराये जाने के बाद श्रीमानजी की ही उपस्थिति में पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) कायम कराई जावे ताकि भविष्य में सीमा विवाद पैदा न हो शांति भंग न हो। प्रार्थी सीमा चिन्ह का खर्चा वहन करने को तैयार है। प्रार्थाना पत्र के अन्त में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 261/226 की तीनों भुजाओं की सीमा रेखा निर्धारित करने के बाद मौके

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) प्रार्थी के खर्चे पर श्रीमान की उपस्थिति में पुलिस इमदाद के सहयोग से कराई जावे एवं अन्य अनुतोष न्यायानुकूल हो प्रार्थी को दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्बत 2074–2077 बाके ग्राम मढई नकल नक्शा ट्रेस ख0नं0 261/226 एवं ख.न. 194 ग्राम मढई पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 5 की विधिवत तामील होने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थी की ओर से अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एकपक्षीय लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी काश्त की आराजी ख.न. 261/226 रकबा 1.2646 हे0 ग्राम मढई तहसील राजाखेडा में स्थित है जिसका प्रार्थी तन्हा खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजी से किसी भी पार्ट से अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की पूर्वी दिशा में अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 194 लगा हुआ है। जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी की मेढ़ों को नष्ट कर प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है हमेशा बाउन्ड्री डिस्प्यूट पैदा करते रहते है। प्रार्थी द्वारा बाउन्ड्री डिस्प्यूट के निस्तारण के लिए तहसीलदार राजाखेडा के यहां कार्यवाही की लेकिन तहसीलदार राजाखेडा द्वारा बाउन्ड्री डिस्प्यूट का निस्तारण नहीं किया वर्तमान में भी बाउन्ड्री डिस्प्यूट विद्यमान है। प्रार्थी न्यायालय श्रीमान के माध्यम से अपनी विवादित आराजी की सीमाओं का सीमांकन नक्शा अक्श मानचित्र के अनुसार कराना चाहता है। सीमांकन किए जाने के पश्चात श्रीमान की उपस्थिति में प्रार्थी अपने खर्चे पर पत्थरगढी कायम कर अपनी खातेदारी की आराजी को सुरक्षित करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 261/226 की तीनों भुजाओं की सीमा रेखा निर्धारित कर मौके पर पुख्ता सीमा चिन्ह प्रार्थी के खर्चे पर श्रीमान की उपस्थिति में पुलिस इमदाद के सहयोग से कराई जावे एवं अन्य अनुतोष जो भी न्यायानुकूल हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों , पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्बत 2074–2077 बाके ग्राम मढई ख0नं0 261/226 का पूरनसिंह पुत्र वंशी जाति नाई निवासी ग्राम–लालपुर तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर खातेदार काश्तकार है। एवं ख.न. 194 के लच्छो पत्नी कोलईया उर्फ गुलावसिंह खातेदार है। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा विवादित आराजी खसरा नंम्बर 261/226 क्षेत्रफल 1.2646 स्थित ग्राम मढई राजाखेडा में अपने निर्देशन में टीम गठित कर मौके पर दिनांक 22.10.2022 को मुताबिक आदेश विस्तृत सीमाज्ञान/पैमाईश कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें आ.ख.न. 141,183,184 के मध्यम स्थित तिमेढा से दक्षिण की ओर जरीब चलाकर आ.ख.न. 261/226 की उत्तरी मेंढ व दक्षिणी कोने पर निशानात् लगवाये गये। उक्त बिन्दुओ को पुख्ता मानकर तीनों कोनों पर निशानात लगवाये गये एवं उपस्थित खातेदार व अन्य पडौसी खातेदारों को बताये गये । अतः उपलब्ध रिकॉर्ड , पैमाइश रिपोर्ट तहसीलदार राजाखेडा से प्रार्थना पत्र के तथ्यों की भली भॉति पुष्टि होती है। इसलिए हम विवाद को समाप्त करने के लिए एवं उचित न्याय के लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा:– 111 सपठित धारा 128 एल.आर.एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार राजाखेडा थानाधिकारी दिहौली से समन्वय स्थापित कर पुलिस इमदाद की उपस्थिति में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खं0न0 261/226 के दिनांक 22.10.2022 को कराए गए सीमाज्ञान के आधार पर मौके पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) प्रार्थी के खर्चे पर कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजाखेडा को उक्त आदेश की पालना किये जाने हेतु परवाना जारी हो। तहसीलदार राजाखेडा उक्त आदेश की पालना रिपोर्ट अविलम्ब इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

यह निर्णय आज दिनांक 2.1.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

(देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा जिला–धौलपुर (राज.)